रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2018/चैत्र 6, 1940
No. 102] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2018/CHAITRA 6, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

सामान्य अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

भारत सरकार की राजकोषीय हुंडियों/नकद प्रबंधन बिल की नीलामी द्वारा बिक्री

फा. सं. 4(2)-डब्ल्यूएण्डएम/2018.—दिनांक 18 नवंबर,1986 की सरकारी अधिसूचना संख्या एफ.4(14)-डब्ल्यूएण्डएम/86; 01 जनवरी,1993 की सं. एफ 2(17)-डब्ल्यूएण्डएम/92; 04 जुलाई 1994 की सं. एफ 2(17) डब्ल्यूएण्डएम/92; 20 मई,1997 की सं. एफ 2(1)-डब्ल्यूयएण्डएम/97; दिनांक 20 मई,1997 की संख्या एफ 2(1) डब्ल्यूएण्डएम/97(i); दिनांक 31 मार्च,1998 की एफ. सं. एफ 2(12) डब्ल्यूएण्डएम/97; दिनांक 19 अप्रैल, 2016 की एफ. सं. 2(12)-डब्ल्यूएण्डएम/97; 26 मई, 2016 की एफ सं.4(8) डब्ल्यूएण्डएम/2015 को अधिक्रमित करते हुए भारत सरकार एतद्वारा "भारत सरकार राजकोषीय हुंडियों/नकद प्रबंधन बिल" (इसमें इसके बाद "हुंडियां" कहा जाएगा) की नीलामी द्वारा बिक्री अधिसूचित करती है।

मुख्य विशेषताएं:

2. (i) 364 दिवस की अधिकतम अवधि के साथ विभिन्न अवधि की परिपक्वतावाली हुंडियों की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी द्वारा की जाएगी। नीलामी की तारीख और स्थान, हुंडियों की अवधि और नीलामी पद्धति की घोषणा समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के जरिए की जाएगी।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को बेची जाने वाली हुंडियों की सांकेतिक राशि अथवा बिलों की राशि की सीमा अधिसूचित करेगा। यदि धनराशि की सीमा को अधिसूचित किया जाता है, तब भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकार के परामर्श से उस सीमा के तहत प्रतिस्पर्धी कोटी के अंतर्गत किसी भी धनराशि को स्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक नीलामी के सफल बोलीदाताओं को "समनुरूप मूल्य नीलामी" या "बहुल-मूल्य नीलामी" के माध्यम से आबंटन कर सकता है, जैसा कि नीलामी के पहले घोषणा की गई है।

(iv) हुंडियों को रियायती मूल्य पर जारी किया जाएगा और अंकित मूल्य पर मोचन किया जाएगा।[1]

[1]समय-समय पर कोई कूपन भुगतान नहीं होगा।

निवेश के लिए पात्रताः

3. हुंडियों में निवेश भारत के किसी भी निवासी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें राज्य सरकारें, फर्में, कंपनियां, कारपोरेट निकाय, संस्थाएं, न्यास और खुदरा निवेशक शामिल हैं। अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सरकार के अनुमोदन से विदेशी मुद्रा प्रंबधन अधिनियम,1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अलावा सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू कानूनों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र हैं।

भागीदारी के मार्ग और राजकोषीय हुंडियों का आबंटन

4. (i) सभी निवेशक प्रतिस्पर्धी बोली खंड में भाग लेने के पात्र हैं। इस खंड में बट्टे की दर और तदनुरूप निर्गम मूल्य प्रत्येक नीलामी में निर्धारित किया जाएगा। समनुरूप मूल्य नीलामी के मामले में, सभी सफल प्रतिस्पर्धी बोलियों को न्यूनतम बट्टागत मूल्य पर स्वीकृत किया जाएगा जिसे कट-ऑफ मूल्य कहा जाता है और जो बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली मूल्यों पर ध्यान दिए बिना नीलामी में निर्धारित किया जाएगा। बहुल-मूल्य नीलामी के मामले में, सफल प्रतिस्पर्धी बोलियों को नीलामी में व्यष्टिगत बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली मूल्यों पर स्वीकृत किया जाएगा। कट-ऑफ मूल्य से कम पेशकशी मूल्यों पर प्रस्तुत प्रतिस्पर्धी बोलियों को समनुरूप और बहुल-मूल्य दोनों के मामले में अस्वीकृत कर दिया जाएगा (**अनुबंध-I** में उदाहरण) ।

(ii) सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुमेय पात्र निकाय विनिर्दिष्ट हुंडियों के लिए नीलामी में अप्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते है। राज्य सरकारें,भारत में पात्र भविष्य निधियां,[2] नेपाल राष्ट्र बैंक, भूटान कारॉयलमौद्रिक प्राधिकरण (केवल 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों में,) विनेशकैनोम बैंक (केवल 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों में) और इस संबंध में सरकार के परामर्श से आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति अवथा संस्था अप्रतिस्पर्धी आधारपर भाग ले सकता है। व्यष्टिखुदरा निवेशकों के रूप में भी अप्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों सहित पात्र संस्थाएं आरबीआई द्वारा घोषित अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के तहत एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर (अपने द्वारा प्रायोजित बैंक/ प्राइमरी डीलरों इत्यादि के जरिए) के जरिए नीलामी में परोक्ष रूप से भाग ले सकती हैं। इसके अलावा, अप्रतिस्पर्धी आधार पर पात्र संस्थाएं, यदि चाहें तो बोली की धनराशि पर बिना किसी अंकुश के प्रतिस्पर्धी खंड में भाग लेने के पात्र है।

(iii) "अप्रतिस्पर्धी बोलियों" में आबंटन भारत सरकार से परामर्श से आरबीआई के विवेक पर होगा। खुदरा निवेशकों के लिए अधिसूचित धनराशि के भीतर सकल सांकेतिक धनराशिके अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा के भीतर आबंटन किया जाएगा, जैसाकि समय-समय पर सरकार के परामर्श से आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अन्य संस्थागत निवेशकों, जैसे राज्य सरकारें, चुनिंदा भविष्य निधियों इत्यादि के संदर्भ में समय-समय पर सरकार के परामर्श से आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचित धनराशि से परे अथवा सीमा के भीतर आबंटन किया जाएगा।

(iv) "अप्रतिस्पर्धी" बोलियों में आबंटन नीलामी के समय प्रतिस्पर्धी बोलियों की भारित औसत मूल्य पर किया जाएगा।

(v) भारत सरकार के परामर्श से आरबीआई के पास बिना कोई कारण बताए किसी बोली अथवा सभी बोलियों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जैसा वह उचित समझे, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।

(vi) आरबीआई, यदि उपयुक्त समझे, तो वह "अप्रतिस्पर्धी" के रूप में नीलामी में भाग ले सकता है और नीलामी में निर्धारित कट-ऑफ मूल्य पर आंशिक अथवापूरी अधिसूचितराशि के लिए हुंडियों की खरीद कर सकता है।

भारत सरकार की राजकोषीय हुंडियों की नीलामी में खरीद हेतु निविदा

5. (i) आरबीआई द्वारा समय-समय पर हुंडियों की बिक्री हेतु नीलामी संबंधी प्रक्रिया के ब्यौरे की घोषणा उनके सरकारी वेबसाइट अथवा समाचार पत्र जैसे मीडिया के जरिए की जाएगी।

(ii) संभावित निवेशकों को अपनी बोलियां नीलामी के दिन, बैंक द्वारा निर्धारित नीलामी का कार्य समय समाप्त होने तक, आरबीआई द्वारा अधिसूचित ई-कुबेर के इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म अथवा किसी अन्य प्लेटफार्म पर कर सकते हैं। बोलियां भौतिक रूप में स्वीकार नहीं की जाएंगी, सिवाएं असाधारण परिस्थितियों के जैसे कि नेटवर्क की विफलता की स्थिति में।

(iii) प्रतिस्पर्धी खंड में बोलीदाता उसी/विभिन्न मूल्यों पर कई बोलियां प्रस्तुत कर सकता है।

(iv) अपूर्ण आवेदन/बोलियां आवेदक को बिना बताए निरस्त की जा सकती हैं।

(v) सफल बोलीदाता (दाताओं) को नीलामी के निपटान वाले दिन निर्धारित कट-ऑफ कार्य समय तक भारतीय रिजर्व बैंक को अपेक्षित राशि ई-बैंकिग/प्राधिकरण के जरिए अपने चालू खाते/बैंकर पे ऑर्डर/ चैक/डिमांड ड्राफ्ट/नकद से नामे करवाकर करनी होगी।

---

[2]**पात्र भविष्य निधियां वे गैर सरकारी भविष्य निधियां हैं जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 और कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 द्वारा शासित की जाती हैं, जिनका निवेश पैटर्न भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।**

न्यूनतम अभिदान

6. हुंडियां प्रतिस्पर्धी एवं अप्रतिस्पर्धी आधार पर न्यूनतम 10,000 रुपए (दस हजार रुपये मात्र) के लिए और 10,000 रुपए के गुणजों में निर्गमित की जाएंगी।

प्रपत्रः

7. हुंडियां आरबीआई केसब्सिडियरी जनरल लेजर (एसजीएल) अकाउंट[3] में प्रॉमिसरी नोट/ जमा के रूप में निर्गमित की जाएंगी।

अंतरणीयताः

8. हुंडियां, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के निबंधनों के अध्यधीन अंतरणीय होंगी।

अदायगीः

9. हुंडियों की अदायगी आरबीआई के कार्यालय, जहां पर वे पंजीकृत किए गए हैं, पर उनकी अवधि समाप्त होने पर सममूल्य पर की जाएगी।

हुंडियों के संबंध में लागू कानून

10. (i) हुंडियां रखने वाले या उनके लिए अभिदान करने वाले सभी व्यक्तियों के अधिकारों का निर्धारण,आरबीआई द्वारा इस संबंध में भारत सरकार के परामर्श से समय-समय पर जारी अन्य अधिसूचनाओं और इस अधिसूचना की शर्तों के साथ पठित सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) हुंडी धारकों या निवेशकों की देनदारी का आकलन और निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ भारत में मौजूदा कर कानून लागू होंगे।

(iii) हुंडियों के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के संबंध में निर्णय भारत के न्यायालयों द्वारा किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

अनुबंध-I

'समनुरूप मूल्य' और बहुल-मूल्य

नीलामी पद्धतियों संबंधी प्रतिस्पर्द्धात्मक

बोलियों की स्वीकृति दर्शाने वाला उदाहरण

आइए, हम यह अनुमान लगाएं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने राजकोषीय हुंडियों की नीलामी में प्रतिस्पर्द्धात्मक बोलीदाताओं के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि अधिसूचित की है और उसे निम्नलिखित बोलियां प्राप्त हुई है:

बोलीदाता	बोली मूल्य (रुपये)	बोली की राशि (करोड़ रु. में)	बोली की संचयी राशि (करोड़ रु. में)
क	98.50	90	90
ख	98.40	60	150
ग	98.35	80	230
घ	98.30	70	300
ड.	98.20	85	385
च.	98.00	30	415

हम यह अनुमान लगाते हैं कि नीलामी में नियत कट-ऑफ मूल्य 98.30 रुपये है। बहुल-मूल्य नीलामी में कट-ऑफ मूल्य अर्थात क, ख, ग एवं घ तक बोलियां स्वीकृत की जाएंगी। ड. और च बोलियों को अस्वीकृत किया जाएगा। 'समनुरूप मूल्य नीलामी' के मामले में, प्रत्येक सफल बोलीदाता को व्यक्तिगततौर पर उद्धृत किए गए बोली मूल्यों के बावजूद 98.30 रु. की दर पर भुगतान करना होगा। कुल देय राशि (98.30/100X 300) = 294.90 करोड़ रुपए होगी; जबकि बहुल-मूल्य नीलामी के मामले में, प्रत्येक सफल बोलीदाता को उस बोली मूल्य का भुगतान करना होगा जिसकी उसने पेशकश की थी। कुल देय राशि [(98.50/100 X90)+ (98.40/100 X 60) + (98.35/100 X80) + (98.30/100 X 70)] = 295.18 करोड़ रुपए होगी।

---

[3] आरबीआई निक्षेपागार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

GENERAL NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

Sale of Government of India Treasury Bills/Cash Management Bill by Auction

F. No. 4(2)-W&M/2018.—In supersession of Government Notifications No. F.4(14)-W&M/86 dated 18th November, 1986; No. F. 2(17)-W&M/92 dated 1st January, 1993; No. F. 2(17)-W&M/92 dated 4thJuly, 1994; No. F.2(1)-W&M/97 dated 20thMay, 1997; No. F.2(1)-W&M/97 (i) dated 20th May, 1997; No F.2(12)-W&M/97 dated 31stMarch 1998 and F. No. 2(12)-W&M/97 dated 19thApril 2016, F. No. 4(8)-W&M/2015 dated 26th May, 2016; the Government of India hereby notifies the procedure of sale of "Government of India Treasury Bills/Cash Management Bills" (hereinafter the "Bills") on auction basis.

Main Features:

2. (i) Bills of varying maturities with a maximum tenor of up to 364 days will be sold by the Reserve Bank of India (**RBI**) on auction basis. The date and place of auction, tenor of bills and auction method will be announced by the RBI by way of Press Release from time to time.

(ii) The RBI will notify the nominal amount or a range of amount of bills to be sold to competitive bidders from time to time. In case a range of amount is notified, RBI, in consultation with the Government, will have the discretion to accept any amount under competitive category within the range.

(iii) The RBI may make allocations to the successful bidders of the auctions by means of either 'uniform price auction' or 'multiple price auction', as announced before the auction.

(iv) Bills will be issued at a discounted price and redeemed at face value[1] .

Eligibility for Investment:

3. The investment in the Bills may be made by any person resident in India, including State Governments, firms, companies, corporate bodies, institutions, trusts and retail investors. Non-Resident Indians, Overseas Citizens of India and Foreign Portfolio Investorsare eligible to invest, subject to the approval of the Government and provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Regulations framed there under, in addition to the other provisions of laws applicable to Government Securities.

Channels of Participation and Allotment of T-Bills:

4. (i) All investors are eligible to participate in competitive bidding segment. In this segment, the rate of discount and the corresponding issue price would be determined at each auction. In case of uniform price auction, all successful competitive bids will be accepted at the minimum discounted price, called cut-off price, determined at the auction, irrespective of bid prices tendered by the bidder. In case of multiple price auction, successful competitive bids will be accepted at the bid prices tendered by the individual bidders at the auction. Competitive bids at offer prices lower than the 'cut off' price will be rejected in the case of both uniform and multiple price auctions (Illustrations in **Annexure-I**).

(ii) Permitted eligible entities, as decided by the RBI, in consultation with the Government, could participate on 'non-competitive' basis in auctions for specified Bills. The State Governments, eligible provident funds in India[2] , Nepal Rashtra Bank, Royal Monetary Authority of Bhutan (only in 91 Day T-Bills),Vnesheconom Bank (only in 91 Day T-Bills) and any Person or Institution, specified by the RBI, in consultation with the Government, in this regard, can participate on non-competitive basis. Individuals may also participate on non-competitive basis as retail investors. Eligible entities, including retail investors, would be eligible to participate in the auction, indirectly through an Aggregator/ Facilitator (through their sponsoring bank/ primary dealer, etc.) as per the scheme of Non-competitive bidding facility announced by the RBI. Further, the entities eligible to bid on non-competitive basis are also, if they so desire, eligible to bid in the competitive segment, without any restriction on the bid amount.

(iii) Allocation against 'non-competitive' bids will be at the discretion of the RBI, which shall duly exercise the discretion, in consultation with the Government of India. For retail investors, the allocation will be restricted to a maximum of 5 percentage of the aggregate nominal amount of the issue, within the notified amount, as specified by the RBI, in consultation with the Government of India, from time to time. For other institutional investors, such as State Governments, select Provident Funds, etc., the allocation shall be within or outside the notified amount, as specified by the RBI, in consultation with the Government, from time to time.

---

[1]There shall be no coupon payment from time to time.

[2]Eligible Provident Funds are those non-government provident funds governed by the Provident Funds Act, 1925 and Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 whose investment pattern is decided by the Government of India.

(iv) Allocation against 'non-competitive' bids will be at the weighted average price of the competitive bids accepted at the auction.

(v) The RBI, in consultation with Government of India, will have the full discretion to accept or reject any or all the bids, either wholly or partially, as deemed fit by it, without assigning any reason.

(vi) The RBI may, if it considers appropriate to do so, participate in the auction as a 'non-competitor' and buy bills for part of or whole of the amount notified at the cut-off price decided in the auction.

Tenders for purchase of Government of India Auction Treasury Bills:

5. (i) Details of the procedure relating to auction for sale of the Bills will be announced by the RBI on its official website or through other media, such as newspapers, from time to time.

(ii) Intending investors would be required to submit their bids, in electronic form on the E-Kuber or any other platform, notified by the RBI, on the day of the auction, up to the close of auction hours prescribed by the RBI. Bids in physical form will not be accepted except in extraordinary circumstances such as in event of network failure.

(iii) A bidder in the competitive segment can submit multiple bids at same/different prices.

(iv) Incomplete applications/bids are liable to be rejected without any reference to the applicant.

(v) The successful bidder(s) would be required to deposit the requisite amount to the RBI by e-banking/authorisation to debit their current Account/ Banker's Pay Order/cheque/DD/cash by prescribed cut-off hours on the auction settlement day.

Minimum Subscription:

6. Bills will be issued for a minimum amount of ₹ 10,000 (Rupees Ten Thousand only) and in multiples of ₹ 10,000 both on competitive basis, and on non-competitive basis.

Form:

7. The Bills will be issued in the form of Promissory Note/Credit to Subsidiary General Ledger (**S.G.L.**) Account[3] with the RBI.

Transferability:

8. The bills will be transferable in terms of the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007.

Repayment:

9. The Bills will be repaid at par on the expiration of their tenor at the office of the RBI at which they are registered.

Laws Applicable in regard to the Bills:

10. (i) The rights of all persons subscribing to or holding the Bills shall be determined in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations 2007, read with the terms of this Notification, and such other Notifications as may be issued from time to time by the RBI, in consultation with Government of India, in this regard.

(ii) The extant tax laws in India will apply for the purpose of assessing and determining the liability of the investor or holder of the Bills.

(iii) Any dispute in relation to the Bills shall be decided by the Courts in India.

By Order of the President of India,

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

[3] RBI Depository

Annexure – I

Illustration showing acceptance of Competitive bids on

'Uniform Price' and 'Multiple Price' Auction methods

Let us assume that RBI has notified an amount of ₹300 crore for competitive bidders in a Treasury bill auction and received the following bids:

Bidders	Bid Price (₹)	Bid Amount (₹ Crore)	Cumulative bid amount (₹Crore)
A	98.50	90	90
B	98.40	60	150
C	98.35	80	230
D	98.30	70	300
E	98.20	85	385
F	98.00	30	415

Let us assume that the cut-off price fixed in the auction is ₹ 98.30. In 'Multiple Price' auction bids up to the cut-off price i.e. A, B, C &D will be accepted. E&F will be rejected. In the case of the 'Uniform Price' auction, each successful bidder will have to pay@₹ 98.30 irrespective of bid prices individually quoted. The total amount payable will be (₹98.30/100x300)= ₹294.90 crore; whereas in the case of Multiple Price Auction, each successful bidder will have to pay the bid price he had offered. The total amount payable will be [(₹98.50/100x90)+(₹98.40/100x60)+ (₹98.35/100x80)+(₹98.30/100x70)]= ₹295.18 crore.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.28 10:47:11 +05'30'